राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Criminal Writ Petition (Parole)-1132/2018

Sadam @ Mubariq Ali S/o Shamasher Ali B/c Muslim, Aged About 22 Years, R/o Ward No. 14 Darzoyonkamunhalla, Pratap Road Khandela Police Station Khandela Distt. Sikar Through His Father Shri Shamasher Ali S/o Ganee Shah Age About 61 Years R/o Ward No. 14 Darzoyonkamuhalla, Pratap Road Khandela Police Station Khandela Distt. Sikar (Presently In Judicial Custody At Distt. Bikaner)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Distt. Collector Sikar Distt. Sikar, Raj.
3. Superintendent Of Police Sikar, Distt. Sikar, Raj.
4. Superintendent Of Central Jail, Bikaner, Distt. Bikaner (Raj.)

----Respondents

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री संदीप पाठक।
लोक अभियोजक श्री प्रशांत शर्मा।

:: आदेश दिनांक : 29.3.2019

न्यायालय द्वारा :–

याची–बंदी की ओर से यह पैरोल रिट याचिका प्रस्तुत कर **बीस दिवस** के लिये **प्रथम पैरोल** का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

पैरोल याचिका में वर्णित तथ्यों, राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं जिला पैरोल परामर्श समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पैरोल याचिका की पोषणीयता के बाबत दण्डादेश की अवधि एवं इस क्रम में व्यतीत की गई सजा अवधि एवं पैरोल स्वीकार किये जाने के क्रम में समय के अंतराल की अवधि बाबत पैरोल याचिका में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत जवाब के अनुसार पैरोल याचिका पर गुणावगुण पर विचार कर निस्तारित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

पैरोल याचिका में मूल रूप से यह प्रकट किया गया है कि बंदी को धारा **363, 366, 376(2)** भारतीय दण्ड संहिता में दोषी करार देते हुए अधिकतम 10 **वर्ष** के कारावास से दण्डित किये जाने के पश्चात बंदी लगभग तीन **वर्ष** की सजा भुगत चुका है। अतः पैरोल नियमों के तहत बंदी को **प्रथम** पैरोल का लाभ प्रदान किया जाए।

इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जवाब के साथ संलग्न नोमिनल रोल **आर/1**

के अनुसार बंदी द्वारा जेल छूट की अवधि सहित तीन **वर्ष दो माह व 8 दिन** की सजा भुगती जा चुकी है, यानि कि सजा भुगतने के दृष्टिकोण से बंदी पैरोल पाने का अधिकारी है। जिला पैरोल समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीकर की रिपोर्ट के आधार पर बंदी को पैरोल पर रिहा किये जाने से इनकारी की है। लेकिन इनकारी के क्रम में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उसमें ऐसा कोई आधार नहीं है कि जेल में रहते हुए बंदी द्वारा कोई दुव्यर्वहार किया गया हो अथवा बंदी का आचरण असंतोषप्रद रहा हो तथा न ही इस क्रम में संबंधित जेलर की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत हुई है।

ऐसी स्थिति में राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम, **1958 (Rajasthan Prisoners Release on Parole Rules, 1958)** के तहत बंदी द्वारा निर्धारित समयावधि की सजा भुगत लिये जाने एवं अन्य कोई तथ्य बंदी के विपरीत नहीं होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिला पैरोल समिति की रिपोर्ट अस्वीकार कर बंदी को **प्रथम पैरोल** के रूप में **बीस दिवस** की अवधि के लिये रिहा जाने के क्रम में यह पैरोल याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः यह पैरोल याचिका स्वीकार की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि यदि बंदी सद्दाम उर्फ मुबारिक अली संबंधित कारागृह, जहॉ वह निरूद्ध है, के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद **एक लाख** रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति इन शर्तों के साथ प्रस्तुत करे कि वह दौराने कारावकाश **(Parole)** शांति सदव्यवहार बनाये रखेगा एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा एवं कारावकाश अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाएगा तो उसे **बीस दिवस** के लिये नियमित **प्रथम पैरोल** पर रिहा कर दिया जाए।

उक्त **बीस दिवस** की अवधि उसकी रिहाई तिथि से गिनी जाएगी। बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र तस्दीक होने पर न्यायालय को भेजे जावें एवं उसकी फोटो प्रति रेकर्ड हेतु रखी जावे तथा पैरोल अवधि की समाप्ति पर बंदी द्वारा कारागृह में समर्पण करने में असमर्थ रहने अथवा शर्तों के भंगीकरण की स्थिति में संबंधित जेल अधीक्षक अथवा एसएचओ व सक्षम अधिकारी इस न्यायालय को तुरन्त सूचित करेंगे।

आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक एवं संबंधित कारागृह, जहॉ बंदी नियद्ध है, के सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जाए।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा–95